



Neutral Citation No. - 2026:AHC:168988

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 9273 वर्ष 2026

प्रियंका पल्लवी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : संदीप सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, हर्ष तिवारी, विमलेंद्र त्रिपाठी

न्यायालय संख्या - 75

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. यह आवेदन वाद संख्या 12289 वर्ष 2025 (राज्य बनाम प्रशांत श्रीवास्तव एवं अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 39 वर्ष 2025, धारा 318(4), 316(5), 61(2), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस. तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66, थाना सेक्टर-126, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर से उद्भूत है और विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम, जिला गौतमबुद्ध नगर के समक्ष लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त किए जाने के साथ-साथ दिनांक 11.07.2025 के आरोप-पत्र तथा उक्त मामले में पारित दिनांक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



21.07.2025 के संज्ञान आदेश को भी निरस्त किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

2. ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से विवाद के निपटारे की संभावना तलाशने के लिए मामले को मध्यस्थता कार्यवाही हेतु भेजा गया था। मध्यस्थता केंद्र की दिनांक 03.07.2026 की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त प्रयास सफल नहीं हो सका और कुछ कारणों से उसका कोई परिणाम नहीं निकला। अतः न्यायालय इस मामले का गुण-दोष के आधार पर निस्तारण करना उचित समझता है।
3. संशोधित सूची में पुकारा गया। आवेदक की ओर से इस आवेदन पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं है। प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 की ओर से श्री हर्ष तिवारी, विद्वान अधिवक्ता तथा श्री धर्मराज पटेल, विद्वान ए.जी.ए. उपस्थित हैं। अभिलेख का परिशीलन किया गया।
4. वर्तमान आवेदन में आवेदक की ओर से की गई प्रस्तुतियां विवादित तथ्यात्मक प्रश्नों से संबंधित हैं। न्यायालय से अभियोजन साक्ष्य के साक्ष्यात्मक मूल्य का निर्धारण करने तथा आवेदक की ओर से उठाए गए विभिन्न तथ्यात्मक विवरणों की जटिलताओं के आधार पर उसका मूल्यांकन करने के लिए भी कहा गया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सामग्री की सत्यता एवं विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाया गया है तथा झूठा फंसाए जाने का अभिकथन किया गया है। की गई प्रस्तुतियां विशुद्ध रूप से तथ्य के प्रश्नों पर आधारित हैं, जिनका समुचित निर्णय केवल विचारण न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है और ऐसा करते समय विधि के प्रश्नों पर की गई प्रस्तुतियों पर भी इस मामले में विचारण न्यायालय द्वारा अधिक उपयुक्त रूप से विचार किया जा सकता है। यह न्यायालय इसे उचित नहीं समझता और इसलिए वास्तविक विचारण प्रारंभ होने से पूर्व ही पूर्व-विचारण करने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. विद्वान ए.जी.ए. ने तर्क प्रस्तुत किया कि मध्यस्थता प्रक्रिया के विफल होने के कारण ही आवेदक के अधिवक्ता का अनुपस्थित रहना स्पष्टतः समझ में आता है और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक की ओर से कार्यवाही को लंबित रखने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि अंतरिम संरक्षण का लाभ जारी रखा जा सके।
6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अनेक निर्णयों के माध्यम से इस विधिक पहलू पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है और कई दशकों की अवधि में विकसित विधि पूर्णतः सुस्थापित है। इस संबंध में (1) **चन्द्र देव सिंह बनाम. प्रकाश चंद्र बोस, एआईआर 1963 एससी 1430**, (2) **वाडीलाल पांचाल बनाम। दत्तात्रेय दुलाजी घाडीगांवकर, एआईआर 1960 एससी 1113 तथा (3) श्रीमती। नागव्वा बनाम. वीरन्ना शिवलिंगप्पा कोन्जाल्गी, (1976) 3 एससीसी 736** के मामलों का उपयोगी रूप से संदर्भ लिया जा सकता है।
7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1960 एससी 866 और हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 एस सी सी (आपराधिक) 426** में दिए गए निर्णयों में भी उदाहरणस्वरूप कुछ ऐसी श्रेणियों को मान्यता दी गई है, जो किसी शिकायत अथवा आरोप-पत्र को निरस्त किए जाने को उचित ठहरा सकती हैं। उनमें से कुछ श्रेणियां उपर्युक्त संदर्भित **श्रीमती नागव्वा बनाम. वीरन्ना शिवलिंगप्पा कोन्जाल्गी, (1976) 3 एससीसी 736** के मामले में दिए गए उदाहरणात्मक मामलों के समान हैं। ऐसे मामले, जिनमें अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप अथवा जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य से कोई अपराध गठित नहीं होता हो, अथवा जहां आरोप असंगत, अत्यंत असंभाव्य अथवा विश्वास करने योग्य न हों, अथवा जहां अभियोजन विधि द्वारा वर्जित हो, अथवा जहां आपराधिक कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण एवं प्रतिकूल उद्देश्य से, केवल रंजिश और प्रतिशोध की भावना से संस्थित की गई हो, वे मामले उच्च न्यायालय के लिए ऐसे उपयुक्त



मामले हो सकते हैं, जिनमें आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *भजन लाल* के मामले में ऐसी कुछ श्रेणियों को मान्यता दी है, जिनमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 अथवा संविधान के अनुच्छेद 226 का सफलतापूर्वक आह्वान किया जा सकता है।

8. उपर्युक्त संदर्भित न्यायिक दृष्टांतों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए इस न्यायालय ने मामले के संपूर्ण अभिलेख पर विचार किया है।
9. उक्त कार्यवाही को निरस्त किए जाने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है, क्योंकि मुझे न्यायालय की प्रक्रिया का कोई दुरुपयोग भी दृष्टिगत नहीं होता।
10. यदि कोई अंतरिम आदेश है, तो वह निरस्त किया जाता है।
11. आवेदन में कोई गुण-दोष नहीं है और इसे निरस्त किया जाता है।
12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को तत्काल संबंधित विचारण न्यायालय को सूचित करे।

(डॉ न्यायमूर्ति. गौतम चौधरी)

11 अगस्त, 2026

एस. अली